न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
227 / 16	23.09.2016	25.01.2019

1 इमरती पत्नी हिरालाल
2 तौफान पुत्री चिंरजी
3 लीला
4 कबूल पुत्रीयान चिंरजी
5 दलीप
6 राजपाल
7 नरेश पुत्रान हिरालाल
8 सरोज
9 सुमन
10 सुनिता पुत्रीयान हिरालाल
11 मूर्ति पत्नी रामप्रताप
12 विरेन्द्र पुत्र रामप्रताप
13 सुमन
14 धोली
15 मनोज
16 अनिता पुत्रीयान रामप्रताप
17 चन्द्रो पत्नी गिरधारी (फौत)
18 राजबीर
19 धारामल पुत्रान गिरधारी
20 धन्नी पुत्री उमराव
21 रामकिशोर पुत्र गिरधारी
22 विधा
23 माया
24 शालीनता
25 विनोद पुत्रीयान गिरधारी
26 चमेली पत्नी रतिराम
27 जयवीर
28 राकेश
29 राजेश पुत्रान रतिराम
30 बीना पुत्री रतिराम
31 लाली पत्नी शिवनारायण
32 जितेन्द्र

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

33 विकास पुत्रान शिवनारायण
34 पिंकी
35 पुष्पा
36 करूणा
37 मनोज
38 मिनाक्षी पुत्रीयान शिवनारायण
39 उदयभान
40 विजयकुमार पुत्रान भज्जूराम जातियान अहीर निवासीयान नत्थू की ढाणी तन गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज.

–वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर, तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर । –प्रतिवादी

दावा –ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज,
हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति–1 श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील– वादी

निर्णय

दिनांक 25.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0 नं0 1114/0.30, 1121/0.11, 1122/0.11, 1123/0.13, 1124/0.10 हैक्0 वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित होकर 1/3 भाग विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा जमाबन्दी संवत् 2028 व संवत् 2035 एवं हाल जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। मिनवादीगण का सजरा खानदान पेश है। उक्त विवादित आराजी मिनवादीगण के पूर्वजो के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा वादीगण के पूर्वज अपने जीवनकाल मे काबिज होकर काश्त करते रहे है तथा फौतगी पर मिनवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड संवत् 2028 की जमाबन्दी मे मिनवादीगण के पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन 1/3 भाग कासिया पुत्र भगवाना 1/3 भाग व नोंदा, सेडा पुत्रान थाना 1/3 भाग का अंकन हैं तथा इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2032 के खतौनी सं0 125 मे मिनवादीगण के पूर्वजो के नाम का अंकन है। मिनवादीगण का पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन नाऔलाद व बिलाऔरत फौत हो गया है, मुताबिक सजरा जिसके विधिक् वारिसान मिनवादीगण है तथा मिनवादीगण को आराजी जरिये विरासत प्राप्त हुई है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा जमाबन्दी संवत् 2025 तैयार करते समय मिनवादीगण के पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन का नाम राजस्व रिकार्ड से बिला किसी हक व अधिकार के खिलाफ मौका, कब्जा व खिलाफ कानून एवं बिला सुनवाई हजफ कर आराजी की किस्म बदल कर सरकार सिवायचक का इंद्राज कर दिया जबकि आराजी कभी भी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

सरकारी सिवायचक नही रही ओर ना ही आज है। आराजी मे सदैव काश्त होती रही है। संवत् 2035 मे किया गया गलत इंद्राज ताहाल रिकार्ड चला आ रहा है जबकि उपरोक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग व शेष अन्य हिस्से पर मिनवादीगण हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त गलत इंद्राज के कायम रहने से मिनवादीगण के हक हकूको पर कुठाराघात होता है तथा मिनवादीगण के हक व अधिकार जायल हो रहे है जबकि हक हकूक कानून द्वारा रक्षित है अपने हको की रक्षार्थ मिनवादीगण को दावा इस्तकरारहक मय दूरूस्ती इंद्राज का पेश करना लाजिमी आया है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी इस्तकराहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की उक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर का मिनवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सरकार सिवायचक के अंकन को हजफ कर रिकार्ड दूरूस्त फरमाया जावे एवं डिकी हु0 ई0 दवामी को प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे की वो मिनवादीगण को बेदखल नही करे ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा करे व आराजी को दिगर लोगो को आंवटित नही करे, मौके यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार जिम्मन नं0 1 मुताबिक रिकार्ड सही है। एवं जिम्मन वार वादी स्वयं सिद्व करे, कानूनी है आदि अंकन करते हुए जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी अपना स्वयं सिद्व करे मुताबिक रिकार्ड का अंकन किया गया है।

प्रकरण मे निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

1 आया विवादित हाल आ0 ख0 नं0 1114/0.30, 1121/0.11, 1122/0.11, 1123/0.13, 1124/0.10 है0 वाके ग्राम गादूवास मे स्थित है वादीगण के पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है, प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। – जिम्मेवादी

2 आया विवादित आराजी जो कुल आराजी का 1/3 भाग है वादीगण के पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन का हिस्सा है, सूण्डा लावल्द बिलाऔरत फौत हो जाने के बाद संवत् 2035 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियो ने सिवायचक दर्ज कर दिया जो मिनवादीगण के हक हकूको के खिलाफ है काबिल दूरूस्ती है। मिनवादीगण उक्त गलत इंद्राज को दूरूस्त कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है। –जिम्मेवादी

3 आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारीज है। – जिम्मेप्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र विजयसिंह पी0 डब्ल्यू0—1, राजपाल पी0 डब्ल्यू0—2, एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श—1, नकल जमाबन्दी संवत् 2069—72 प्रदर्श—2, नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत् 2032 प्रदर्श—3, नकल जमाबन्दी संवत् 2036—39 प्रदर्श—4, नकल इंतकाल नं0 301 वाके ग्राम गादूवास प्रदर्श—5 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी दौराने बहस वादीगण के वादपत्र को दोहराते हुए वकील वादी का अभिकथन रहा की उक्त विवादित आराजीयात समस्त वादीगण को अपने पूर्वजो से जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिसके बाबत वादीगण का सजरा वादपत्र मे अंकित है एवं उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन 1/3 भाग, कासिया पुत्र भगवाना 1/3 भाग एवं नोंदा, सेडा पुत्रान थाना की होकर मिनवादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसके बाबत का अंकन नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श—1 से स्पष्ट साबित है एवं ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत् 2032 प्रदर्श—3 अनुसार भी स्पष्ट साबित है। उक्त प्रस्तुत दोनो दस्तावेजात अनुसार सूण्डा पुत्र गोरधन 1/3, कासिया पुत्र भगवाना 1/3, नोंदा, सेडा पुत्रान थाना समभाग 1/3 साकिन देह ढाणी नत्थू खातेदार का अंकन है तथा मुताबिक प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2036 प्रदर्श—4 अनुसार सरकार सिवायचक तिहाई 1/3 कासिया पुत्र भगवाना तिहाई 1/3, नोंदा सेंडा पुत्रान थाना समभाग तिहाई 1/3 अहीर सा0 देह ढाणी नत्थू खातेदार का अंकन है। उक्त इंद्राज ताहाल ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन है जो प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2069—72 प्रदर्श—2 से स्पष्ट साबित हैं। अभिकथन करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की उपरोक्तानुसार बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया इस प्रकार से वादीगण के वाद का तनकीवार निम्नानुसार विवेचन रहा —

1 तनकी नं0 1— आया विवादित हाल आ0 ख0 नं0 1114/0.30, 1121/0.11, 1122/0.11, 1123/0.13, 1124/0.10 हैक0 वाके ग्राम गादूवास मे स्थित है वादीगण के पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है, प्रतिवादी को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है। जिसके मुताबिक वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श—1 के मुताबिक विवादित आराजी के बाबत सूण्डा पुत्र गोरधन 1/3, कासिया पुत्र भगवाना 1/3, नोंदा, सेडा पुत्रान थाना समभाग 1/3 कोम

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

अहीर सा0 देह ढाणी नत्थू खातेदार के अंकन अनुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2032 प्रदर्श–3 अनुसार सूण्डा पुत्र गोरधन 1/3, कासिया पुत्र भगवाना 1/3, नोंदा, सेडा पुत्रान थाना समभाग 1/3 के अंकन एवं प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2036 प्रदर्श–4 मे अंकित सरकार सिवायचक तिहाई 1/3 कासिया पुत्र भगवाना तिहाई 1/3, नोंदा, सेडा पुत्रान थाना समभाग तिहाई 1/3 अहीर सा0 देह ढाणी नत्थू खातेदार के अंकन के अवलोकन एवं मुताबिक बहस वकील वादी मनन करने उपरान्त यह न्यायालय इस तनकी को बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

2 तनकी नं0 2– आया विवादित आराजी जो कुल आराजी का 1/3 भाग है वादीगण के पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन का हिस्सा है, सूण्डा लावल्द बिलाऔरत फौत हो जाने के बाद संवत् 2035 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियो ने सिवायचक दर्ज कर दिया जो मिनवादीगण के हक हकूको के खिलाफ है काबिल दूरूस्ती है। मिनवादीगण उक्त गलत इंद्राज को दूरूस्त कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है। इस बाबत वादीगण ने अपने वादपत्र मे सजरा पेश किया है। मुताबिक सजरा उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पूर्वज लालमन की होकर लालमन के वारिसान रामकिशन, थाना, भगवाना एवं इसी प्रकार रामकिशन के वारिस गोरधन ओर गोरधन के वारिस सूण्डा जो मुताबिक सजरा बिलाऔरत नाऔलाद फौत रहा है तथा समस्त वादीगण मुताबिक सजरा पूर्वज लालमन के शेष वारिस थाना एवं भगवाना के वारिसान है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1, 3, 4 एवं प्रदर्श–2 से भी स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण का पूर्वज सूण्डा पुत्र गोरधन लावल्द बिलाऔरत फौत हुआ है एवं वादीगण का विवादित आराजी मे हित निहीत पाये जाने की स्थिति मे इस तनकी को भी यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

3 तनकी नं0 3– आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने को भार जिम्मेप्रतिवादी रहा है। जब तनकी सं0 1 व 2 स्पष्टरूप से बहक वादीगण साबित हो चुके है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बहक वादीगण एवं बरखिलाफ प्रतिवादी स्वीकार योग्य पाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वादीगण के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने उपरान्त यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख0 नम्बरान् 114/0.30, 1121/0.11, 1122/0.11, 1123/0.13, 1124/0.10 हैक्टेयर के 1/3 भाग वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड पर से दर्ज सरकार सिवायचक के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं सजरा हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे हाल राजस्व मे हो रहे अंकन के आधार पर वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना ही दिगर लोगो को आवंटित करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 25/1/19
(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

28/2/19
आज वकील वादीगण धारा 152 जा० दी० पेश होकर स्वीकार होकर पेश हुई वाद शीर्षक के वादी नं० 17 के सम्मुख जुड़े ल्याही से हजफ अंकित किया जाता है। शेष निर्णय पूर्ववत: यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर) 28/2/19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
227/16	23.09.2016	25.01.2019

1 इमरती पत्नी हिरालाल
2 तौफान पुत्री चिंरजी
3 लीला
4 कबूल पुत्रीयान चिंरजी
5 दलीप
6 राजपाल
7 नरेश पुत्रान हिरालाल
8 सरोज
9 सुमन
10 सुनिता पुत्रीयान हिरालाल
11 मूर्ति पत्नी रामप्रताप
12 विरेन्द्र पुत्र रामप्रताप
13 सुमन
14 धोली
15 मनोज
16 अनिता पुत्रीयान रामप्रताप
17 चन्द्रो पत्नी गिरधारी - (फौत)
18 राजबीर
19 धारामल पुत्रान गिरधारी
20 धन्नी पुत्री उमराव
21 रामकिशोर पुत्र गिरधारी
22 विधा
23 माया
24 शालीनता
25 विनोद पुत्रीयान गिरधारी
26 चमेली पत्नी रतिराम
27 जयवीर
28 राकेश
29 राजेश पुत्रान रतिराम
30 बीना पुत्री रतिराम
31 लाली पत्नी शिवनारायण
32 जितेन्द्र
33 विकास पुत्रान शिवनारायण
34 पिंकी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

35 पुष्पा
36 करूणा
37 मनोज
38 मिनाक्षी पुत्रीयान शिवनारायण
39 उदयभान
40 विजयकुमार पुत्रान भज्जूराम जातियान अहीर निवासीयान नत्थू की ढाणी तन गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज.

—वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर, तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर । —प्रतिवादी

दावा —ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज,
हु0 ई0 दवामी

वादीगण की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **25.01.2019** को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी ख0 नम्बरान 114/0.30, 1121/0.11, 1122/0.11, 1123/0.13, 1124/0.10 हैक्टेयर के 1/3 भाग वाके ग्राम गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड पर से दर्ज सरकार सिवायचक के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं सजरा हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे हाल राजस्व मे हो रहे अंकन के आधार पर वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना ही दिगर लोगो को आवंटित करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.01.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

25/1/19

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर मुण्डावर राज०

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

28/2/19 आज वकील वादी द्वारा धारा 152 जा०दी० पेश होकर स्वीकार होने पर पेश हुई। वाद शीर्षक में वादी सं० 17 चन्द्रो के सम्मुख सुर्ख स्याही से हजफ अंकित किया जाता है शेष पर्चा डिक्री पूर्ववत: यथावत रहेगी।

28/2/19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner